

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली  
पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 31/2010

प्रार्थी/वादी:-

1. तहसीलदार (भूमिधारी),  
पाली

बनाम अप्रार्थी/प्रतिवादीगण:-

1. मृतक माणकलाल के कायम मुकाम-

1/1 श्री किशन (पुत्र)

1/2 श्री राधाकिशन (पुत्र)

1/3 मोहनी (पुत्री)

1/4 सोहनी (पुत्री)

1/5 भोगादेवी (पुत्री)

1/6 सुशीला देवी (पुत्री)

तमाम निवासीगण नोचोकिया सिंगपोल  
की घाटी रामदेव चौक जोधपुर

2. योगीराज पुत्र मदनलाल जाति पुष्करणा ब्राह्मण  
निवासी जोधपुर
3. शिवराम पुत्र लादूराम जाति पुष्करणा ब्राह्मण  
निवासी जोधपुर
4. श्री राधेश्याम बिहाणी निवासी रामेश्वर लाल  
बिहाणी निवासी रामदेव रोड़ पाली।

उपस्थिति:-

1. श्री केसरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)
2. श्री बाबूलाल मेवाड़ा, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 4

वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

:-निर्णय:-

दिनांक 06.01.2020

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा मानपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 218 बीघा जमाबन्दी संवत् 2064 के अनुसार अपार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी कृषि भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी कृषि भूमि है। पर अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा अकृषि प्रयोजन से उपयोग कर मौके पर कपड़ों की धूलाई का उद्योग लगा रखा है। अप्रार्थी 4 के द्वारा उक्त भूमि का अकृषि के रूप में उपयोग खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सहमति से किया जा रहा है। यानि कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन से उपयोग तमाम अप्रार्थीगण की सहमति से किया जा रहा है। वाद ग्रस्त भूमि पाली नगर परिषद् सीमा में घनी आबादी के मध्य एवं लगती हुई आई हुई है। जिससे उक्त भूमि में किए जा रहे



*Rohit*  
सहायक कलेक्टर  
पाली

औद्योगिक उत्पादन से वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। जिससे आम नागरिक के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। एवं आस पास स्थित कृषि भूमि भी क्षारीय हो रही है। जिससे कृषि उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वाद ग्रस्त भूमि औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है। जिससे उसका संपरिवर्तन किया जाना भी संभव नहीं है प्रतिवादीगण द्वारा जो मौके पर अकृषि प्रयोजन से कृषि भूमिका उपयोग किया जा रहा है। उसका विवरण नम्नानुसार है-

क्र.सं.	नाम प्रतिवादी	खसरा नम्बर	रकबा	उपयोग
1	श्री नीलकमल दायमा पुत्र श्री किशनलाल दायमा कृष्णा 3 फेड्स कौलोनी आर्दश नगर, पाली	28	180 X 140 = 25200 वर्ग फूट	कपड़े धुलाई का उद्योग

इस प्रकार खसरा नम्बर 28 में से 1.09 बीघा भूमि का अकृषि के रूप में उपयोग किये जाने से राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन हो रहा है। सरहद मौजा मानपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 28 कुल रकबा 218 बीघा में से 1.09 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकारी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के निरस्त फरमाते हुए सिवाय चक घोषित किया जावें।

2. अप्रार्थी को जरिये नोटिस निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया।
3. प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/6 के विरुद्ध बावजूद नोटिस तामिल के न्यायालय के असालतन व वकालतन अनुस्थित रहे। जिस कारण से दिनांक 24-10-2007 को उक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।
4. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरुद्ध दिनांक 06-09-2011 को न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की गई।
5. उक्त प्रार्थना पत्र को वाद में परिणित किया जाकर वाद की तरह सुनवाई करने हेतु आदेश दिया गया।
6. वकील प्रतिवादी संख्या 4 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राधेश्याम की ओर से वाद की तरह कन्टेस्ट करने हेतु निवेदन करने का आवेदन प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को वाद में परिणित किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी कृषि भूमि पर अकृषि प्रयोजन से उपयोग कर मौके पर कपड़े की धुलाई का उद्योग नहीं लगा रखा है। उक्त भूमि में किये जा रहे कार्य से किसी प्रकार का वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण नहीं फैल रहा था तथा



*Rahi*  
सहायक कलेक्टर  
पाली

न ही आम नागरिक के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था तथा न ही आपसपास स्थित कृषि भूमि भी क्षारीय हो रही थी। उक्त आरोप प्रार्थी/वादी ने अपनी मनमर्जी से लगाये हैं। प्रतिवादी 4 द्वारा वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण फैलाया जा रहा था। इस बाबत कोई शिकायत/दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये हैं। आम नागरिक के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था, इस बाबत किस नागरिक के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा एवं कैसे विपरीत प्रभाव पड़ा, इस बाबत किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट/डॉक्टर की रिपोर्ट पेश नहीं की है तथा आसपास कृषि भूमि क्षारीय हो रही है। विशेषज्ञ की रिपोर्ट लाकर पेश नहीं की है तथा कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव किस कारण से पड़ रहा है। कृषि विशेषज्ञ से जांच रिपोर्ट पेश नहीं की है। ऐसे में प्रार्थी/वादी द्वारा अप्रार्थी साबीर भाई पर लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं होने से प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र/वाद प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है।

7. वाद मे तनकियात दिनांक 01.07.2016 को निम्न प्रकार से कायम की गई-

7/1 आया मौजा मानपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 28 रकबा 218 में से 25200 वर्गफुट अर्थात् 1.09 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कपड़े धुलाई का उद्योग लगाया जाकर अकृषि उपयोग किया गया है जो धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम का उल्लंघन है- (वादी)


7/2 आया वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 28 रकबा 218 में से 1.09 बीघा भूमि को अकृषि उपयोग में लिये जाने से राजकीय सिवायचक घोषित कर प्रतिवादी को बेदखल किये जाने योग्य है- (वादी)


7/3 आनुतोष।

8. सरकारी पैरोकार ने अपने वाद को साबिज करने के लिये श्री गंगासिंह पिता का नाम छतरसिंह कौम राजपूत के बयान कलमबद्ध किये गये।

9. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

10. सरकारी पैरोकार तहसलीदार पाली ने बहस के दौरान निवेदन किया कि सरहद मौजा मानपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 218 बीघा जमाबन्दी संवत् 2064 के अनुसार अपार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी कृषि भूमि है। पर अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा अकृषि प्रयोजन से उपयोग कर मौके पर कपड़ों की धुलाई का उद्योग लगा रखा है। अप्रार्थी 4 के द्वारा उक्त भूमि का अकृषि के रूप में उपयोग खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सहमति से किया जा रहा है। वाद ग्रस्त भूमि पाली नगर परिषद सीमा में घनी आबादी के मध्य एवं लगाती हुई आई हुई है। जिससे उक्त भूमि में किए जा रहे औद्योगिक उत्पादन से वायु, जल,



  
सहायक कलेक्टर  
पाली

ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। जिससे आम नागरिक के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। एवं आस पास स्थित कृषि भूमि भी क्षारीय हो रही है। उक्त कृषि भूमि का कृषि से अकृषि में परिवर्तन होने के कारण मेरे द्वारा उक्त भूमि को धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारों के खातेदारी अधिकार निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया था जो इस प्रकरण में मानपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 218 बीघा किस्म जमीन चाही दोगम भूमि वर्तमान में पाली शहर की पैरी फ़ैरी सीमा के अन्तर्गत वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन के अनुसार आ चुके है। वर्ष 2013 में पाली शहर में नगर विकास न्यास भी स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिती में उक्त भूमियों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास, पाली का हो जाता है।

11. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया गया। मौजा मानपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 218 बीघा किस्म जमीन चाही दोगम वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन अनुसार पाली शहर में नगर विकास न्यास स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिती में उक्त भूमि पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास पाली का हो जाता है। अतः इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा आगे कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाने कारण अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 खारीज किया जाकर नगर विकास न्यास, पाली को सूचित किया जावे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर पाये जाने से तहसीलदार पाली का प्रार्थना पत्र/वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर दाखिल दफ़्तर की जावे।

निर्णय की प्रति पत्र के साथ सचिव, नगर विकास न्यास, पाली को सूचनार्थ/पालनार्थ-प्रेषित की जावे।



*Rahul*  
सहायक कलेक्टर  
पाली

यह आदेश आज दिनांक 06.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Rahul*  
सहायक कलेक्टर  
पाली

# डिकी बमुकददमें इब्तदाई

( ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्दा दीवानी )  
( Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, पाली

इजलास- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 31 सन् 2010

प्रार्थी / वादी:-

1. तहसीलदार (भुमिधारी),  
पाली

बनाम अप्रार्थी / प्रतिवादीगण:-

1. मृतक माणकलाल के कायम मुकाम-

1/1 श्री किशन (पुत्र)

1/2 श्री राधाकिशन (पुत्र)

1/3 मोहनी (पुत्री)

1/4 सोहनी (पुत्री)

1/5 भोगादेवी (पुत्री)

1/6 सुशीला देवी (पुत्री)

तमाम निवासीगण नोचोकिया सिंगपोल  
की घाटी रामदेव चौक जोधपुर

2. योगीराज पुत्र मदनलाल जाति पुष्करणा ब्राह्मण  
निवासी जोधपुर


3. शिवराम पुत्र लादूराम जाति पुष्करणा ब्राह्मण  
निवासी जोधपुर

4. श्री राधेश्याम बिहाणी निवासी रामेश्वर लाल  
बिहाणी निवासी रामदेव रोड़ पाली।

यह मुकददमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री केसर सिंह तहसीलदार पाली, विद्वान अभिभाषक वादी बहाजरी मिनजानिब मुददई व श्री बाबूलाल मेवाड़ा, मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार कर क्षेत्राधिकार बाहर होने से डिकी किये जाने योग्य नहीं पाये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य..... बाबत.....शून्य.....खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.....शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक .....शून्य..... को अदा करें।

बसिब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 01 सन् 2020 को जारी की गई।



*Rahul*  
सहायक कलेक्टर  
पाली

मुददई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	-	-	स्टाम्प वकालतनामा	-	-
स्टाम्प वकालतनामा	-	-	स्टाम्प हाजरी	-	-
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	मेहनताना वकील पर	-	-
मेहनताना वकील	-	-	खर्चा गवाहान	-	-
खर्चा गवाहान	-	-	फीस कमिश्नर	-	-
फीस कमिश्नर	-	-	बाबत इजराय हुकमनामा	-	-

बाबत इजराय हुक्मनामा	-	-	मुतफरिक	-	-
मुतफरिक	-	-	-	-	-
मीजान				मीजान	

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

*Rahul*  
 महासंग्रह कलेक्टर  
 पाली

